रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25092020-222002
CG-DL-E-25092020-222002

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 261] **नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 25, 2020/आश्विन 3, 1942**
No. 261] **NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 25, 2020/ASVINA 3, 1942**

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

संकल्प

नई दिल्ली, 25 सितम्बर, 2020

ग्रिड संबद्ध सौर पीवी विद्युत परियोजनाओं से विद्युत की खरीद के लिए टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया के लिए दिशानिर्देशों में संशोधन

सं. 283/57/2018-ग्रिड सौर.—

1.0 ग्रिड संबद्ध सौर पीवी विद्युत परियोजनाओं से विद्युत की खरीद के लिए टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया के लिए दिशानिर्देशों को भारत के राजपत्र (असाधारण) (भाग I – खण्ड 1) में प्रकाशित, दिनांक 3 अगस्त, 2017 के संकल्प सं. 23/27/2017-आरएंडआर द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 63 के प्रावधानों के तहत अधिसूचित किया गया है और भारत के राजपत्र (असाधारण) (भाग I – खण्ड 1) में प्रकाशित दिनांक 14 जून, 2018 के संकल्प सं. 23/27/2017-आरएंडआर, दिनांक 3 जनवरी, 2019 के संकल्प सं. 23/27/2017-आरएंडआर, दिनांक 9 जुलाई, 2019 के संकल्प सं. 23/27/2017-आरएंडआर और दिनांक 22 अक्तूबर, 2019 के संकल्प सं. 283/57/2018-ग्रिड सौर के माध्यम से संशोधित किया गया है।

2.0 दिनांक 3 अगस्त, 2017 के उक्त दिशानिर्देश, जिन्हें 14 जून 2018, 3 जनवरी 2019, 9 जुलाई 2019 और 22 अक्तूबर 2019 को संशोधित किया गया था, में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन किये जाते हैं:-

2.1 बिंदु सं. 13 पर पैरा:

"13. न्यूनतम चुकता शेयर पूंजी का प्रोमोटर द्वारा रखा जाना :

13.1 सफल बोलीदाता अगर एकल कंपनी हो तो उसे यह सुनश्चित करना होगा कि एसपीवी/पीपीए पर दस्तखत करने वाली कंपनी में उसकी हिस्सेदारी सीओडी (जिसे अनुच्छेद 15 में परिभाषित किया गया है) की तारीख से 3 (तीन) साल पहले खरीदार की पूर्वानुमति कि बिना किसी भी समय 51 (इक्यावन) प्रतिशत से नीचे न पहुंचे. अगर सफल बोलीदाता कंपनियों का समूह हो तो इस स्थिति में एसपीवी/पीपीए पर दस्तखत करने वाली परियोजना कंपनी में समूह की कंपनियों की संयुक्त हिस्सापूंजी खरीदार की पूर्वानुमति के बिना सीओडी से 3 (तीन) साल पहले किसी भी वक्त 51 प्रतिशत से नीचे नहीं पहुंचनी चाहिए। सफल बोलीदाता को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसके प्रोमोटर सीओडी से 3 (तीन) साल पहले तक खरीदार की अनुमति के बिना बोलीदाता कंपनी / कंपनियों के समूह पर अपना नियंत्रण[2] खत्म न होने दें। ऐसी स्थिति में यह भी जरूरी होगा कि सफल बोलीदाता अपने प्रोमोटरों और उनकी हिस्सापूंजी के बारे में खरीदार के साथ विद्युत खरीद समझौते पर दस्तखत करने से पहले सूचनाएं उपलब्ध करा दें।

13.2 सीओडी से 3 (तीन) साल पूरा हो जाने के बाद हिस्सापूंजी में कोई भी बदलाव खरीदार को सूचना देकर किया जा सकता है।

13.3 अगर सोलर पावर जनरेटर ने किसी ऋणदाता(ओं) की देनदारी चुकाने में चूक की हो तो ऋणदाता को इस बात का अधिकार होगा कि वह खरीदार की सहमति से '**प्रोमोटर बदल सके**'।"

[2] 'नियंत्रण' शब्द का अर्थ है स्वामित्व, ऐसी कंपनी के 50 प्रतिशत (पचास प्रतिशत) से अधिक वोटिंग शेयरों का प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से स्वामित्व, अथवा बहुसंख्य निदेशकों की नियुक्ति का अधिकार।

को निम्नानुसार पढ़ा जाए:

"13 न्यूनतम चुकता शेयरपूंजी का प्रमोटर द्वारा रखा जाना :

13.1 सफल बोलीदाता अगर एकल कंपनी हो तो उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि एसपीवी/पीपीए पर दस्तखत करने वाली कंपनी में उसकी हिस्सेदारी सीओडी (जिसे अनुच्छेछ 15 में परिभाषित किया गया है) की तारीख से 1 वर्ष पहले खरीदा गया है खरीदार की पूर्वानुमति कि बिना किसी भी समय 51 (इक्यावन) प्रतिशत से नीचे न पहुंचे। अगर सफल बोलीदाता कंपनियों का समूह हो तो इस स्थिति में एसपीवी/पीपीए पर दस्तखत करने वाली परियोजना कंपनी में समूह की कंपनियों की संयुक्त हिस्सापूंजी खरीदार की पूर्वानुमति के बिना सीओडी से 1 (एक) साल पहले किसी भी वक्त 51 (इक्यावन) प्रतिशत से नीचे नहीं पहुंचनी चाहिए। सफल बोलीदाता को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसके प्रमोटर सीओडी से 1 (एक) साल पहले तक खरीदार की अनुमति के बिना बोलीदाता कंपनी/कंपनियों के समूह पर अपना नियंत्रण[2] खत्म न होने दें। ऐसी स्थिति में यह भी जरूरी होगा कि सफल बोलीदाता अपने प्रमोटरों और उनकी हिस्सापूंजी के बारे में खरीदार के साथ विद्युत खरीद समझौते पर दस्तखत करने से पहले सूचनाएं उपलब्ध करा दें।

13.2 सीओडी से 1 (एक) साल पूरा हो जाने के बाद हिस्सापूंजी में कोई भी बदलाव खरीदार को सूचना देकर किया जा सकता है।

13.3 अगर सोलर पावर जनरेटर ने किसी ऋणदाता (ओं) की देनदारी चुकाने में चूक की हो तो ऋणदाता को इस बात का अधिकार होगा कि खरीदारों की सहमति से '**प्रमोटर बदल सकें**'।"

[2] 'नियंत्रण' शब्द का अर्थ है स्वामित्व, ऐसी कंपनी के 50 प्रतिशत (पचास प्रतिशत) से अधिक वोटिंग शेयरों का प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से स्वामित्व, अथवा बहुसंख्य निदेशकों की नियुक्ति का अधिकार।

2.2 बिंदु सं. 7.3 पर स्थित पैरा:

"7.3 जमा की जाने वाली अग्रिम राशि (ईएमडी) :

बोलीदाता द्वारा बैंक गारंटी के रूप में अग्रिम राशि (ईएमडी) की निर्धारित मात्रा जमा करानी होगी। सौर विद्युत उत्पादक द्वारा निर्धारित अवधि के दौरान पीपीए पर हस्ताक्षर करने में विफल रहने की स्थिति में अग्रिम राशि (ईएमडी) जब्त कर ली जाएगी।"

को निम्नानुसार पढ़ा जाए:

"7.3 जमा की जाने वाली अग्रिम राशि (ईएमडी) :

बोलीदाता द्वारा बैंक गारंटी/भुगतान के लिए वचन पत्र/भुगतान आदेश दस्तावेज के रूप में अग्रिम राशि (ईएमडी) की निर्धारित मात्रा जमा करानी होगी। सौर विद्युत उत्पादक द्वारा निर्धारित अवधि के दौरान पीपीए पर हस्ताक्षर करने में विफल रहने की स्थिति में अग्रिम राशि (ईएमडी) जब्त कर ली जाएगी।"

2.3 बिंदु सं. 11 पर पैरा:

"11. बैंक गारंटी

सौर ऊर्जा उत्पादक खरीदार को आरएफएस और पीपीए की शर्तों के अनुसार निम्नलिखित बैंक गारंटियां देगा:

11.1 जमा की गयी अग्रिम धनराशि (ईएमडी) का निर्धारण खरीदार द्वारा किया जाएगा (जो बोली आमंत्रण वाले वित्त वर्ष के केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा निर्धारित सोलर फोटो वोल्टैक बिजली परियोजना की लागत या अनुमानित परियोजना लागत के दो प्रतिशत से ज्यादा नहीं होगा). अग्रिम धनराशि बैंक गारंटी के रूप में आरएफएस (स्वीकृति के अनुरोध) के उत्तर के साथ प्रस्तुत की जाएगी.

11.2 निष्पादन बैंक गारंटी (पीबीजी) का निर्धारण खरीदार द्वारा पीपीए प्रस्तुत करते समय किया जाएगा [लेकिन यह खरीदार द्वारा निर्दिष्ट स्थान होने पर केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा बोली आमंत्रित किये जाने वाले साल में परियोजना लागत के 4 प्रतिशत (चार प्रतिशत) से अधिक और सौर ऊर्जा उत्पादक द्वारा स्थान का चयन किये जाने की स्थिति में 5 प्रतिशत (पांच प्रतिशत) या अनुमानित परियोजना लागत से अधिक नहीं होना चाहिए]। अन्य उपायों के अलावा सोलर पावर जनरेटर को विद्युत खरीद समझौते की शर्तों में निर्दिष्ट प्रावधानों के संदर्भ में किसी तरह का नुकसान होने/देयताएं उत्पन्न होने पर पीबीजी का नकदीकरण किया जा सकेगा. यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि मध्यस्थ खरीदार द्वारा पीपीए की शर्तों के अनुसार सोलर पावर जनरेटर में किसी प्रकार की चूक होने पर पीबीजी के नकदीकरण के जरिए क्षतिपूर्ति/देययताएं वसूले जाने की स्थिति में क्षति/देयता, 'ग्रिड कनेक्टिड सोलर पीवी विद्युत परियोजनाओं से टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया के ज़रिए बिजली की खरीद के लिए दिशा-निर्देशों' की धारा 5.3.2.क.ii के उपबंधों के अधीन मध्यस्थ खरीदार द्वारा अनुरक्षित भुगतान सुरक्षा निधि में जमा कर दी जाएगी।"

को निम्नानुसार पढ़ा जाए:

"11. गारंटी

सौर ऊर्जा उत्पादक खरीदार को आरएफएस और पीपीए की शर्तों के अनुसार निम्नलिखित गारंटी देगा:

11.1 जमा की गई अग्रिम धनराशि (ईएमडी) का निर्धारण खरीदार द्वारा किया जाएगा (जो बोली आमंत्रण वाले वित्त वर्ष के लिए केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा निर्धारित सोलर फोटो वोल्टैक

बिजली परियोजना की लागत या अनुमानित परियोजना लागत के 2 (दो) प्रतिशत से ज्यादा नहीं होगा]। आरएफएस के उत्तर के साथ निम्नलिखित रूप से प्रस्तुत किया जाएगा:

(क) बैंक गारंटी(यां);

या

(ख) सौर विद्युत उत्पादक द्वारा चूक की स्थिति में "आदेश पर भुगतान दस्तावेज"/वचन पत्र, जो निविदा शर्तों के संदर्भ में, भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास ऐजेंसी (इरेडा) / पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएफसी)/आरईसी लिमिटेड (आरईसी) से भुगतान के लिए होगा।

"आदेश पर भुगतान दस्तावेज" से तात्पर्य *निविदा शर्तों / विद्युत खरीद समझौते (पीपीए) के अनुसार संदर्भ में सौर विद्युत उत्पादक द्वारा चूक की स्थिति में भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड (इरेडा) या पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लि. (पीएफसी) या आरईसी लि. (आरईसी) [नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय / विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत तीन गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं] से भुगतान के लिए वचन पत्र से है। ऐसे पत्र(त्रों) का प्रभाव किसी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक द्वारा जारी बैंक गारंटी के समान होगा। ऐसे "भुगतान के लिए आदेश दस्तावेज" में किसी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक द्वारा दी गई निबंधन और शर्तें होंगी और खरीदार की मांग पर नियत समय में भुगतान करने का वादा होगा। सौर विद्युत उत्पादक उपरोक्त तीनों गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं (इरेडा, पीएफसी और आरईसी) को देय प्रतिभूति का प्रस्ताव करके ऐसे पत्र(त्रों) की मांग कर सकते हैं। खरीदार इरेडा, पीएफसी और आरईसी के अलावा किसी अन्य गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था से उपरोक्तानुसार या किसी अन्य रूप में 'वचन पत्र' स्वीकार नहीं करेंगे।*

11.2 निष्पादन बैंक गारंटी (पीबीजी) / निष्पादन गारंटी (पीजी)

11.2.1 निष्पादन गारंटी (पीजी) का निर्धारण खरीदार द्वारा किया जाएगा [लेकिन यह खरीदार द्वारा निर्दिष्ट स्थान होने पर केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा बोली आमंत्रित किये जाने वाले साल में परियोजना लागत के 4% (चार प्रतिशत) से अधिक और सौर ऊर्जा उत्पादक द्वारा स्थान का चयन किये जाने की स्थिति में 5 प्रतिशत (पांच प्रतिशत) या अनुमानित परियोजना लागत से अधिक नहीं होना चाहिए]; जिसे पीपीए पर हस्ताक्षर करते समय निम्नलिखित रूप में प्रस्तुत किया जाएगा।

(क) बैंक गारंटी(यां)

अथवा

(ख) सौर विद्युत उत्पादक द्वारा चूक की स्थिति में "आदेश पर भुगतान दस्तावेज"/वचन पत्र, जो निविदा शर्तों के संदर्भ में भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी (इरेडा) / पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लि. (पीएफसी)/आरईसी लिमिटेड (आरईसी) से भुगतान के लिए होगा।

11.2.2 इन दिशानिर्देशों में जहां कहीं भी निष्पादन बैंक गारंटी (पीबीजी) का उल्लेख है, वह बैंक गारंटी या दिशानिर्देशों के अनुसार उपलब्ध कराए गए तत्संबंधी विकल्पों के रूप में निष्पादन गारंटी (पीजी) मानी जाएंगी।

11.2.3 अन्य उपयों के अलावा, सोलर पावर जनरेटर को विद्युत खरीद समझौते में निर्दिष्ट प्रावधानों के संदर्भ में किसी तरह का नुकसान होने/देयताएं उत्पन्न होने पर इस पीबीजी का नकदीकरण किया जा सकेगा। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि मध्यस्थ खरीदार द्वारा पीपीए की शर्तों के अनुसार सोलर पावर जनरेटर में किसी प्रकार की चूक होने पर पीबीजी की नकदीकरण करके क्षतिपूर्ति/देयताएं वसूले जाने की स्थिति में क्षति/देयता 'ग्रिड कनेक्टिड सोलर पीवी विद्युत परियोजनाओं से टैरिफ आधारित स्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया के जरिए बिजली की खरीद के लिए दिशानिर्देशों' की धारा 5.3.2 क ii के उपबंधों के अधीन मध्यस्थ खरीदार द्वारा अनुरक्षित भुगतान

सुरक्षा निधि में जमा कर दी जाएगी। परियोजना के चालू हो जाने के 45 दिनों के भीतर उत्पादक को पीबीजी लौटा दी जाएगी। यदि आंशिक रूप से चालू की जाती है, तो चालू की गई आंशिक क्षमता के अनुरूप ऐसे आंशिक रूप से चालू किये जाने के 45 दिनों के भीतर पीबीजी जारी की जाएगी।

11.2.4 यदि सौर विद्युत उत्पादक, विद्युत खरीद समझौते (पीपीए) के सन्दर्भ में सौर विद्युत उत्पादक द्वारा चूक की स्थिति उत्पन्न होने पर बैंक गारंटी के स्थान पर भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लि. (इरेडा) या पावर फाइनेंस लि. (पीएफसी) या आरईसी लि. (आरईसी) से भुगतान के लिए "भुगतान आदेश दस्तावेज"/वचन पत्र प्रस्तुत करने में सक्षम है तो खरीदार सौर विद्युत उत्पादक द्वारा प्रस्तुत की गई निष्पादन बैंक गारंटी (पीबीजी) के रूप में बैंक गारंटी अवमुक्त कर सकता है। सौर विद्युत उत्पादक ऐसे पत्र(त्रों) की मांग उपरोक्त तीनों गैर-बैंकिंग संस्थाओं (इरेडा, पीएफसी और आरईसी) से उचित जमा राशि की पेशकश करके कर सकते हैं ताकि खरीदकर्ता(ओं) को पहले ही किये गए वादे के अनुसार उनकी बैंक गारंटियों के स्थान पर अन्य गारंटी दी जा सके।"

अमितेश कुमार सिन्हा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY

RESOLUTION

New Delhi, the 25th September, 2020

Amendments to the Guidelines for Tariff Based Competitive Bidding Process for Procurement of Power from Grid Connected Solar PV Power Projects

No. 283/57/2018-GRID SOLAR.—

1.0 The Guidelines for Tariff Based Competitive Bidding Process for Procurement of Power from Grid Connected Solar PV Power Projects have been notified under the provisions of Section 63 of the Electricity Act, 2003 *vide* resolution No. 23/27/2017-R&R dated 3rd August, 2017, published in the Gazette of India (Extraordinary) (Part I—Section 1), and have been amended *vide* resolution No. 23/27/2017-R&R dated 14th June, 2018, resolution No. 23/27/2017-R&R dated 3rd January, 2019, resolution No. 23/27/2017-R&R dated 9th July, 2019 and resolution No. 283/57/2018-GRID SOLAR dated 22nd October, 2019, published in the Gazette of India (Extraordinary) (Part I—Section 1).

2.0 The following amendments are hereby made in the said guidelines of 3rd August, 2017, amended on 14th June 2018, 3rd January, 2019, 9th July, 2019 and 22nd October, 2019, namely:-

2.1 The Para at point No. 13:

"13 MINIMUM PAID UP SHARE CAPITAL TO BE HELD BY THE PROMOTER

13.1 The successful bidder, if being a single company, shall ensure that its shareholding in the SPV/project company executing the PPA shall not fall below 51% (fifty-one per cent) at any time prior to 3 (three) years from the COD (as defined in Clause 15), except with the prior approval of the Procurer. In the event the successful bidder is a consortium, then the combined shareholding of the consortium members in the SPV/project company executing the PPA, shall not fall below 51% at any time prior to 3 (three) years from the COD, except with the prior approval of the Procurer. Further, the successful bidder shall ensure that its promoters shall not cede control[2] of the bidding company/consortium till 3 (three) years from the COD, except with the prior approval of the Procurer. In this case it shall also be essential that the successful bidder shall provide the information about its promoters and their shareholding to the Procurer before signing of the PPA with Procurer.

13.2 Any change in the shareholding after the expiry of 3 (three) years from the COD can be undertaken under intimation to Procurer.

13.3 In the event the Solar Power Generator is in default to the lender(s), lenders shall be entitled to undertake **'Substitution of Promoter'** in concurrence with the Procurers."

[2]The expression 'control' shall mean the ownership, directly or indirectly, of more than 50% (fifty per cent) of the voting shares of such Company or right to appoint majority Directors.

May be read as under:

"13 MINIMUM PAID UP SHARE CAPITAL TO BE HELD BY THE PROMOTER

13.1 The successful bidder, if being a single company, shall ensure that its shareholding in the SPV/project company executing the PPA shall not fall below 51% (fifty-one per cent) at any time prior to 1 (one) year from the COD (as defined in Clause 15), except with the prior approval of the Procurer. In the event the successful bidder is a consortium, then the combined shareholding of the consortium members in the SPV/project company executing the PPA, shall not fall below 51% at any time prior to 1 (one) year from the COD, except with the prior approval of the Procurer. Further, the successful bidder shall ensure that its promoters shall not cede control[2] of the bidding company/ consortium till 1 (one) year from the COD, except with the prior approval of the Procurer. In this case it shall also be essential that the successful bidder shall provide the information about its promoters and their shareholding to the Procurer before signing of the PPA with Procurer.

13.2 Any change in the shareholding after the expiry of 1 (one) year from the COD can be undertaken under intimation to Procurer.

13.3 In the event the Solar Power Generator is in default to the lender(s), lenders shall be entitled to undertake **'Substitution of Promoter'** in concurrence with the Procurers."

[2]The expression 'control' shall mean the ownership, directly or indirectly, of more than 50% (fifty per cent) of the voting shares of such Company or right to appoint majority Directors.

2.2 The Para at point No. 7.3:

"7.3 Quantum of the Earnest Money Deposit (EMD)

Quantum of the Earnest Money Deposit (EMD) in the form of a bank guarantee, to be furnished by the bidders. The EMD shall stand forfeited in the event of failure of the Solar Power Generator to execute the PPA within the stipulated time period."

May be read as under:

"7.3 Quantum of the Earnest Money Deposit (EMD)

Quantum of the Earnest Money Deposit (EMD) in the form of a bank guarantee/ letter of undertaking to pay/ Payment of Order Instrument, to be furnished by the bidders. The EMD shall stand forfeited in the event of failure of the Solar Power Generator to execute the PPA within the stipulated time period."

2.3 The Para at point No. 11:

"11. BANK GUARANTEES

The Solar Power Generator shall provide the following bank guarantees to the Procurer in terms of the RfS and the PPA:

11.1 **Earnest Money Deposit (EMD)**, to be fixed by the Procurer [but not to be more than 2% (two percent) of the Solar PV power project cost, as determined by CERC, if any, for the financial year in which the bids are invited or the estimated project cost], to be submitted in the form of a bank guarantee along with response to RfS.

11.2 **Performance Bank Guarantee (PBG),** to be fixed by the Procurer [but not to be more than 4% (four per cent), in case of site specified by the Procurer, and 5% (five per

cent), in case of site selected by the Solar Power Generator, of the Project cost, as determined by CERC, if any, for the financial year in which the bids are invited or the estimated project cost] to be submitted at the time of signing of the PPA. In addition to the other remedies, this PBG can be encashed to recover any damages/dues of the Solar Power Generator in terms of the PPA. It is hereby clarified that the damages/dues recovered by the Intermediary Procurer by encashing the PBG, upon the default of the Solar Power Generator under the PPA, shall be credited to the Payment Security Fund to be maintained by the Intermediary Procurer under Clause 5.3.2.a.ii. of 'Guidelines for Tariff Based Competitive Bidding Process for Procurement of Power from Grid Connected Solar PV Power Projects'."

May be read as under:

"11. GUARANTEES

The Solar Power Generator shall provide the following guarantees to the Procurer in terms of the RfS and the PPA:

11.1 **Earnest Money Deposit (EMD)**, to be fixed by the Procurer, [but not to be more than 2% (two per cent) of the estimated capital cost of the Solar PV power project cost, as determined by CERC, if any, for the financial year in which the bids are invited or the estimated project cost], to be submitted along with response to RfS, in the form of:

(a) Bank Guarantee(s);

OR

(b) "Payment on Order instrument" / Letter of Undertaking, to pay in case situation of default of solar power generator in terms of tender condition arises, from Indian Renewable Energy Development Agency (IREDA)/ Power Finance Corporation Limited (PFC)/ REC Limited (REC).

*"**Payment on Order instrument**"* means *Letter of Undertaking from Indian Renewable Energy Development Agency Limited (IREDA) or Power Finance Corporation Limited (PFC) or REC Limited (REC) [the three non-banking financial institutions under Ministry of New & Renewable Energy (MNRE)/ Ministry of Power (MoP)], to pay in case situation of default of solar power generator in terms of tender conditions/Power Purchase Agreement (PPA) arises. Such Letter(s) will have same effect as that of a Bank Guarantee issued by any public sector bank. Such "Payment on Order instrument" would have terms and conditions similar to that of any Bank Guarantee given by any public sector bank and would promise to pay the Procurer on demand within stipulated time. Solar power generators can seek such Letters(s) by offering due security to the above mentioned three non-banking financial institutions mentioned above (IREDA, PFC & REC). Procurer(s) shall not accept the instrument of 'Letter of Undertaking' as described above or in any other form, from any other non-banking financial institutions or bank, except IREDA, PFC & REC.*

11.2 Performance Bank Guarantee (PBG)/ Performance Guarantee (PG)

11.2.1 Performance Guarantee (PG), to be fixed by the Procurer [but not to be more than 4% (four per cent), in case of site specified by the Procurer, and 5% (five per cent), in case of site selected by the Solar Power Generator, of the Project cost, as determined by CERC, if any, for the financial year in which the bids are invited or the estimated project cost] to be submitted at the time of signing of the PPA, in the form of:

(a) Bank Guarantee(s);

OR

(b) "Payment on Order instrument"/Letter of Undertaking to pay in case situation of default of solar power generator in terms of Power Purchase Agreement (PPA) arises, from Indian Renewable Energy Development Agency (IREDA)/Power Finance Corporation Limited (PFC) and REC Limited (REC);

11.2.2 Performance Bank Guarantee (PBG) wherever mentioned in these guidelines shall refer to Performance Guarantee (PG) in the form of Bank Guarantee or alternatives provided thereto as per these Guidelines.

11.2.3 In addition to the other remedies, this PBG can be encashed to recover any damages/dues of the Solar Power Generator in terms of the PPA. It is hereby clarified that the damages/dues recovered by the Intermediary Procurer by encashing the PBG, upon the default of the Solar Power Generator under the PPA, shall be credited to the Payment Security Fund to be maintained by the Intermediary Procurer under clause 5.3.2.a.ii of 'Guidelines for Tariff Based Competitive Bidding Process for Procurement of Power from Grid Connected Solar PV Power Projects'. PBG shall be returned to the generator within 45 days of the commissioning of the project. In case of part commissioning, PBG, corresponding to the part capacity commissioned, should be released within 45 days of such part-commissioning.

11.2.4 Procurer(s) may release the Bank Guarantees submitted by a Solar Power Generator as 'Performance Bank Guarantee (PBG)' if the Solar Power Generator is able to replace the same with "Payment on Order instrument"/Letter(s) of Undertaking from Indian Renewable Energy Development Agency Limited (IREDA) or Power Finance Corporation Limited (PFC) or REC Limited (REC) to pay in case situation of default of Solar Power Generator in terms of Power Purchase Agreement (PPA) arises. Solar Power Generators can seek such Letters(s) by offering due security to the above mentioned three non-banking financial institutions (IREDA, PFC & REC) for seeking replacement of their Bank Guarantees already pledged with the Procurer(s)."

AMITESH KUMAR SINHA, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2020.09.25 23:10:14 +05'30'